# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नेछवा जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– मोहरसिंह मीणा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 116/2023 (पुराने नम्बर 49 /20)

## भंवरलाल डोटासरा बनाम रतनाराम

**आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय धारा 151 सीपीसी**

उपस्थित – वकील आवेदनकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2– श्री कानाराम
वकील जवाबदाता/वादी – श्री श्रवण जांगिड

## आदेश

दिनांक :– 4/9/2024

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक आवेदन अं0 आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का मय धारा 151 सीपीसी के प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि जो वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें इस्तदुआ चाही गई है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में विवादित आराजियात का बक्सीसनामा दिनांक 6.7.20 को करवा दिया है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे तस्दीक दान पत्र के अनुसरण में किसी प्रकार का नामा0 प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में तस्दीक नहीं करें। उक्त दावा उक्त बक्सीसनामा को शुन्य व प्रभावहीन घोषित करने का एक दावा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व0ख0) लक्ष्मणगढ में पेश किया जिसके मु. नं. 34/20 हैं। जिसके माननीय न्यायालय ने यह कहते हुऐ खारिज कर दिया कि वादी को प्रथम राजस्व न्यायालय से खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा करवानी होगी। वादी को खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा हुऐ बिना वर्तमान दावा बार्ड बाई लॉ होने से खारिज होने योग्य है। इसी प्रकार वर्तमान दावा में कहीं भी वादी ने यह सहायता नहीं चाही है कि वादी को उक्त बक्सीसनामें में वर्णित भूमियों का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जो सहायता वादी ने वाद में नहीं चाही है व वादी के पक्ष में स्वीकृत नहीं की जा सकती है। इस प्रकार वादी का वाद केवल स्थाई निषेधाज्ञा का होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने वाला होने से खारिज होने योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावे।

वादी को जवाब आवेदन हेतु काफी अवसर दिये गये परन्तु उन्होने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस करने का निवेदन किया ।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई। आवेदनकर्ता ने बहस में अपने कथनों को दोहराया एवं जवाबदाता/वकील वादी ने कथन किया कि भूमियां पैतृक सम्पतियां है इसलिये उक्त बक्सीसनामा का कोई औचित्य नहीं है कृषि भूमियों के बाबत सुनवाई का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को ही। आवेदनकर्ता से स्वयं अपने आवेदन में यह स्वीकार किया है कि माननीय सिविल न्यायालय ने राजस्व न्यायालय से खातेदारी उद्घोषित करवाने का निर्णय किया है। उक्त वाद को माननीय न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपसी में खारिज किया है जिसकी अपील हमने कर रखी है। कोई पारिवारिक समझौता लिखित में नहीं हुआ है। पैतृक भूमि में क्या मेरे अधिकार समाप्त हो जायेगें। रिपिटल में आवेदनकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि सिविल कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पहले उद्घोषणा करवाओं फिर आना। नामा0 खुलवाया जावें। आवेदनकर्ता ने अपने तर्को के समर्थन में ईडियन कानून की एक नजीर टेम्पल ऑफ ठाकूर श्री मथुरादासजी बनाम श्री कन्हैयालाल आदि दिनांक 18.2.2008 पेश की।

हमने बहस पर मनन किया एवं आवेदन के तथ्यों एंव वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं माननीय न्यायालय की नजीर का ससम्मान अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (सीकर)

Scanned with CamScanner

किया। आवेदनकर्ता का मूल कथन है कि वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जिसमें केवल मात्र सहायता उक्त बक्शीशनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किये जाने की सहायता चाही गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद केवल स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है, उद्घोषणा की कोई सहायता नहीं चाही गई है। वादी द्वारा भूमि को पैतृक होने संबंधि कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार वादी विवादित आराजियात का खातेदार नहीं है। आवेदनकार्त द्वारा भी पारिवारिक बंटवारे का कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय सिविल न्यायालयों के निर्णय बाबत आवेदनकर्ता ने जो कथन किया है उसके बाबत वकील वादी ने उसकी अपील किये जाने का कथन किया है। किसी भी पक्ष द्वारा दस्तावेज पेश नहीं किया है। बक्शीशनामा करवाने वाला व्यक्ति रतनाराम विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी जो कि विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार नहीं है ने केवल मात्र बक्शीशनामा के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है। रजिस्टर्ड बक्शीशनामा को निरस्त किये जाने का क्षैत्राधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान इस वाद पर स्पष्ट रूप से लागू होते है।

आदेश

अतः आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मय धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मोहर सिंह मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, नेछवा

उपखण्ड अधिकारी
नेछवा (सीकर)

Scanned with CamScanner